

एफ.सं. ए-31011/01/2008-सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश सं. 23/2013

केन्द्रीय श्रम सेवा के जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) ग्रेड में दिनांक 15.09.2011 को वरिष्ठता सूची में संशोधन और प्रचालन के परिणामस्वरूप, ओ.ए. सं. 951/2004 (श्री टी. बेहरा बनाम यूओआई) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कटक पीठ के दिनांक 11.9.2008 के आदेश और ओ.ए. सं. 664/2009 (श्री यशपाल त्यागी बनाम यूओआई) में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के दिनांक 28.10.2009 के आदेश केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ में श्री अमर कांत गोयल द्वारा दायर ओ.ए. सं. 619/सीएच/2011 का अंतिम निपटान किए जाने के अनुपालन में, वर्तमान में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़ के पद पर तैनात श्री अमर कांत गोयल को तत्काल प्रभाव से जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. श्री अमर कांत गोयल, को जेटीएस ग्रेड को उनका प्रत्यावर्तन किए जाने पर, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने पर, अस्थायी आधार पर, सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पद पर मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), मुख्यालय, नई दिल्ली में संबद्ध किया जाता है।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बाबू चेरीआन)

भारत सरकार के उप सचिव

वितरण:-

1. श्री अमर कांत गोयल, जेटीएस - निर्देशानुसार तुरंत मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मुख्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय को रिपोर्ट करें और मंत्रालय को अपने पदभार ग्रहण करने की रिपोर्ट उचित माध्यम से प्रस्तुत करें।
2. उप. सीएलसी (सी), चंडीगढ़ को तुरंत उसके अनुरोध के साथ सीएलसी (सी) मुख्यालय, नई दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए सेवा से मुक्त करें एलईएम के ओएसडी/सचिव (एल एंड ई) के पीपीएस/महानिदेशक(श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव(एपी)/सीएलसी(के.), नई दिल्ली
3. निदेशक(आर)/डीएस(बीएस)
4. एडीएम-1/एस ई अनुभाग, सीएलसी(के.) कार्यालय, नई दिल्ली
5. सीएलएस-11 अनुभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
6. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां

(बाबू चेरीआन)

भारत सरकार के उप सचिव